

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर


भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक :

प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक :

CGRERA-P-

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
16-02-2023	<p style="text-align: right;">छत्तीसगढ़, रायपुर</p> <p>प्रकरण आज वी.सी. के माध्यम से सुनवाई में लिया गया। आवेदिका स्वतः उप। अनावेदक द्वारा श्री फिजी अधि। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित हैं कि अनावेदिका द्वारा FORM M अंतर्गत रूल 35(1) के तहत शिकायत प्रस्तुत की हैं। उक्त के साथ ही निष्पादन आवेदन अंतर्गत आदेश 21 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया हैं। आवेदनों के साथ संलग्न माननीय अर्थोरिटी द्वारा प्रकरण क्रमांक M-PRO-2019-00501 में दिनांक 23/12/2019 को पारित आदेश की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि माननीय अर्थोरिटी द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत शिकायत को अस्वीकार किया हैं। चूंकि माननीय अर्थोरिटी द्वारा निष्पादन योग्य आदेश पारित नहीं किया गया हैं। ऐसी दशा में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निष्पादन आवेदन अंतर्गत आदेश 21 नियम 11 सी.पी.सी. निरस्त किया जाता हैं। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत शिकायत FORM M अंतर्गत रूल 35(1) रजिस्ट्रार महोदया को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। परिणाम दर्ज कर अभिलेख, अभिलेखागार रवाना हो।</p> <p style="text-align: right;"> न्याय निर्णायक अधिकारी</p>	